R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XI ◆ अंक 6
दिसंबर 2014

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

मौजूदा दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की संरचना

रिज़र्व बैंक ने 15 दिसंबर 2014 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (जिनमें स्थानीय क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं) को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और महत्वपूर्ण (कोर) उद्योगों की परियोजनाओं के लिए दिए गए मौजूदा परियोजना की लचीलेपन के साथ संरचना करने की अनुमति दी जिस के अंतर्गत कतिपय मानदंडों के अधीन इन ऋणों के लिए निश्चित समय अंतराल पर वित्तपोषण करने का विकल्प होगा। इनमें से कुछ मानदंड इस प्रकार हैं:

- बुनियादी ढांचा क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए दिए गए ऐसे मौजूदा ऋण इस प्रकार की सुविधाजनक संरचना और पुनर्वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे, जिनमें सभी संस्थागत ऋणदाताओं द्वारा दिए गए एक्सपोज़र की कुल राशि ₹500 करोड़ से अधिक हो;
- परियोजना की प्रचलन-अवधि में वाणिज्यिक परिचालनों (डीसीसीओ) की शुरूआत की तारीख के बाद उसके मौजूदा ऋणों के लिए उस परियोजना के नकदी प्रवाहों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर बैंक एक बार नए सिरे से ऋण परिशोधन सारणी निर्धारित कर सकते हैं, किंतु इस प्रक्रिया को 'पुनर्संरचना' के रूप में माना न जाए और यह प्रक्रिया विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी;
- परियोजना में वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारंभ होने के बाद बैंक आवधिक रूप से (यथा पांच से सात वर्ष तक) सावधिक परियोजना ऋण का वित्तपोषण कर सकते हैं;
- यदि किसी भी अवस्था में यह सावधिक परियोजना ऋण या पुनर्वित्तपोषण कर्ज सुविधा अनर्जक आस्ति (एनपीए) बन जाए तो उसके लिए आगे कोई वित्तपोषण नहीं किया जाएगा तथा जिस बैंक ने ऋण दिया है, उस ऋण के एनपीए हो जाने पर उसे मौजूदा विनियमावली के अंतर्गत उसकी पहचान कर अपेक्षा अनुसार आवश्यक प्रावधान करना होगा। ज्यों ही खाता एनपीए स्तर से बाहर निकल जाता है त्यों ही वह इन अनुदेशों के अनुसार पुनर्वित्त पाने के लिए पात्र हो जाएगा;
- बैंक सावधिक परियोजना ऋण या पुनर्वित्तपोषण कर्ज सुविधा के प्रत्येक स्तर पर ऋणों के लिए मूल्य निर्धारण उस ऋण के चरण में निहित जोखिम के अनुरूप करेगा तथा इस प्रकार का मूल्य बैंक की आधार दर से कम न हो;
- बैंकों को अपने हित की सुरक्षा समुचित प्रलेखन और प्रतिभूति तैयार कर करनी चाहिए;

  बैंकों को जोखिम प्रबंधन परिप्रेक्ष्य के मद्देनज़र यह समझना चाहिए कि ऐसी संभावना है कि ऋण को अन्य बैंकों द्वारा पुनर्वित्तपोषित नहीं किया जाएगा तथा चलनिधि की आवश्यकताओं एवं दबाव के मामलों को लेकर अनुमान लगाते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए; तथा
- बैंकों में ऐसे वित्तपोषण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति हो।

रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण उद्योगों से संबंधित परियोजनाओं, जिन्हें 'अनर्जक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के लिए दिए गए मौजूदा परियोजना ऋणों के लिए सुविधाजनक रूप से संरचना तैयार करने संबंधी उपर्युक्त ढांचे के अनुसार दीर्घावधिक ऋण परिशोधन का विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं। किंतु इस प्रक्रिया को 'पुनर्संरचना' के रूप में माना जाएगा और इन आस्तियों को 'अनर्जक आस्तियों' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा। ऐसे खातों को 'विनिर्दिष्ट अवधि' (खातों की पुनर्संरचना संबंधी मौजूदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में यथापरिभाषित) के दौरान सभी बकाया ऋणों/सुविधाओं के संतोषजनक रूप से निष्पादित होने पर ही अपग्रेड किया जा सकता, अर्थात् उक्त अवधि में भुगतान की शर्तों के अनुसार सभी सुविधाओं पर मूलधन और ब्याज की राशि अदा कर दी गई हो। तथापि, इस खाते के 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर ही इसके लिए आवधिक पुनर्वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाएगी।

बैंकों द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने उन्हें नए ऋणों (जुलाई 2014 में यथा अधिसूचित) के अलावा मौजूदा दीर्घावधिक ऋणों की संरचना, जिसके साथ आवधिक पुनर्वित्तपोषण का विकल्प भी उपलब्ध है,तय करने के लिए लचीलापन प्रदान किया है। इस कदम से बुनियादी ढांचे/महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की मौजूदा परियोजनाओं की दीर्घावधिक अर्थक्षमता बनी रहेगी जिससे कर्ज चुकाने के दायित्व और उन परियोजनाओं के उपयोगिता काल में नकदी प्रवाह के बीच संतुलन बना रहे।

विस्तृत दिशानिर्देश http://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9406&Mode=0 पर उपलब्ध हैं।

विषय सूची पृष्ठ

नीति
- मौजूदा दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की संरचना 1
- भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देश 2
- लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए 2

भुगतान प्रणाली
- तत्काल सकल भुगतान प्रणाली की समय-सीमा में विस्तार 3
- व्हाइट लेबल एटीएमओं पर दिशानिर्देश 3
- मोबाइल बैंकिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए ग्राहक शिक्षण 3
- भारत बिल भुगतान प्रणाली पर अंतिम दिशानिर्देश 3
- व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) के लिए दिशानिर्देश 3
- मामला लेखन प्रतियोगिता 3
- पेंशनभोगियों को डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र 4

वित्तीय बाजार
- एचटीएम सीमाओं में कमी 4

मुद्रा प्रबंधन
- वर्ष 2005 से पूर्व जारी करेंसी नोट 4

विदेशी मुद्रा प्रबंधन
- 20:80 योजना के अंतर्गत सोने का आयात 4
- ईसीबी की आगम राशियों का प्राधिकृत व्यापारी बैंकों में रखा जाना 4
- विदेशों में जुटाई गई निधियां भारत में लाया जाना 4
- आरडीए और एमटीएसएस विवरण 4

भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को अपनी वेबसाइट पर ''भुगतान बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश'' जारी किए।

मुख्य विशेषताएं

i) उद्देश्य: वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए (क) लघु बचत खाते उपलब्ध कराना और (ख) प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आय वाले परिवारों, छोटे कारोबारों, असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं तथा अन्य उपयोगकर्ताओं को भुगतान/विप्रेषण सेवाएं प्रदान करना।

ii) पात्र प्रवर्तक :

क) मौजूदा गैर-बैंक पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता; और अन्य संस्थाएं जैसे व्यक्ति/पेशेवर; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनडीएफसी), कॉर्पोरेट व्यवसाय प्रतिनिधि (बीईसी), मोबाइल टेलिफोन कंपनियां, सुपरमार्केट श्रृंखलाएं, कंपनियां, रियल एस्टेट सहकारिताएं; जो निवासी भारतीयों के स्वामित्व व नियंत्रणाधीन हैं; तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

ख) कोई प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह भुगतान बैंक की स्थापना के लिए किसी विद्यमान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ संयुक्त उद्यम की व्यवस्था कर सकता है। तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भुगतान बैंक में अपना इक्विटी हिस्सा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अंतर्गत अनुमेय स्तर तक रख सकता है।

ग) भुगतान बैंकों का प्रवर्तन करने के लिए पात्र प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह 'योग्य और समुचित' ऐसे हों जोकि पेशेवर अनुभव का सुदृढ़ रिकार्ड रखते हों या जिन्होंने कम-से-कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कारोबार चलाया हो।

iii) कार्यकलापों का दायरा:

क) मांग जमाराशियों को स्वीकारना। प्रारंभ में भुगतान बैंक प्रति व्यक्तिगत ग्राहक की अधिकतम ₹100,000 की शेष राशि रख सकेगा।

ख) एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करना। तथापि, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता।

ग) विभिन्न सारणियों के माध्यम से भुगतान और धन प्रेषण सेवाएं।

घ) व्यवसाय प्रतिनिधियों से संबंधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए अन्य बैंक का व्यवसाय प्रतिनिधि बनना।

ड) म्यूच्युअल फंड इकाइयों और बीमा उत्पाद आदि जैसे जोखिम रहित सरल वित्तीय उत्पादों का वितरण।

iv) निधियों का अभिनियोजन :

क) भुगतान बैंक ऋण देने का कार्य नहीं कर सकता।

ख) मांग और मीयादी देयताओं में से रिज़र्व बैंक के पास रखे जाने वाले आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की राशि के अतिरिक्त अपने ''मांग जमाराशि के शेष'' का कम-से-कम 75 प्रतिशत का हिस्सा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों/खजाना बिलों में निवेश करने की अपेक्षा होगी तथा वह अपने परिचलनात्मक प्रयोजनों और चलनिधि प्रबंधन हेतु अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में चालू और मीयादी/सावधिक जमाराशियों में 25 प्रतिशत तक का हिस्सा रख सकता है।

v) पूंजी अपेक्षा:

भुगतान बैंकों को न्यूनतम ₹100 करोड़ की चुकता इक्विटी पूंजी रखनी होगी।भुगतान बैंक का लीवरेज अनुपात 3 प्रतिशत से कम न हो अर्थात उसकी बाहरी देयताएं उसकी अपनी निवल मालियत (चुकता पूंजी और आरक्षित निधियां) के 33.33 गुणा से अधिक न हो।

रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लिए प्रवर्तकों के अंशदान और विदेशी शेयरधारिता के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के साथ-साथ इस संबंध में कतिपय शर्तें तय की हैं :

क) इस बैंक का परिचालन शुरुआत से ही पूर्णत: नेटवर्क व प्रौद्योगिकी साधित हो और सामान्यत: स्वीकृत मानकों व मानदंडों के अनुरूप हो।

ख) ग्राहकों की शिकायतों का निपटान करने हेतु इस बैंक में एक उच्च अधिकार-प्राप्त ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष हो।

विस्तृत दिशानिर्देश http://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=2900 पर उपलब्ध हैं।

लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 नवंबर 2014 को अपनी वेबसाइट पर निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।

मुख्य विशेषताएं

- *उद्देश्य:* लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए (क) बचत के साधनों का प्रावधान करना, और (ख) छोटी कारोबारी इकाइयों; छोटे व सीमांत किसानों; सूक्ष्म और लघु उद्योगों; तथा असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को उच्च प्रौद्योगिकी-कम लागत के परिचालनों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है।
- *पात्र प्रवर्तक:* बैंकिंग और वित्त में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति/व्यवसायी; तथा निवासी भारतीयों के स्वामित्व वाली कंपनियां एवं सोसाइटियां।
- निवासी भारतीयों के स्वामित्व व नियंत्रणाधीन मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई) और स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) लघु वित्त बैंकों के रूप में परिवर्तन का विकल्प चुन सकते हैं।

  लघु वित्त बैंकों का प्रवर्तन करने हेतु ऐसे प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह 'योग्य और समुचित' रूप से पात्र होंगे जो व्यावसायिक अनुभव का सुदृढ़ रिकार्ड रखते हों या जिन्होंने कम-से-कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कारोबार चलाया हो।

iii) कार्यकलापों का दायरा

क) लघु वित्त बैंक मुख्य रूप से मूल बैंकिंग गतिविधियां जैसे जमाराशि स्वीकारने तथा बैंकिंग सेवा से वंचित और अल्प बैंकिंग सुविधा प्राप्त वर्गों, जिनके अंतर्गत छोटी कारोबारी इकाइयां, छोटे व सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाएं शामिल हैं, को ऋण देने का कार्य करेगा।

ख) लघु वित्त बैंकों के परिचालन क्षेत्र के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

iv) पूंजी अपेक्षा: लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी ₹100 करोड़ होगी।

रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के लिए प्रवर्तकों के अंशदान, विदेशी शेयरधारिता और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के साथ-साथ इस संबंध में रूपांतरण पथ का निम्नानुसार निर्धारण किया है :

रूपांतरण पथ: यदि लघु वित्त बैंक एक सार्वभौमिक बैंक के रूप में रूपांतरित होना चाहता है तो ऐसा रूपांतरण स्वत: नहीं होगा, बल्कि यह रूपांतरण सार्वभौमिक बैंकों पर लागू न्यूनतम चुकता पूंजी/निवल मालियत संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति; एक लघु वित्त बैंक के रूप में उसका संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड तथा रिज़र्व बैंक की समुचित सावधानी कवायद के परिणाम के अधीन होगा।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक ने 17 जुलाई 2014 को निजी क्षेत्र में लघु बैंकों को लाइसेंस देने संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप आम जनता की राय जानने के लिए जारी किया था। कई संबद्ध पार्टियों और आम जनता से इस संबंध में अनेक टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए। इस प्रकार प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।

विस्तृत दिशानिर्देश http://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=2901 पर उपलब्ध हैं।

भुगतान प्रणाली

तत्काल सकल भुगतान प्रणाली की समय-सीमा में विस्तार

रिज़र्व बैंक ने 15 दिसंबर 2014 को तत्काल सकल भुगतान निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) की कारोबार समय सीमा पहले के 9.00 बजे से बढ़ाकर 8.00 बजे कर दी है और लेखा बंदी समय सप्ताह के दिनों में 20.00 बजे तक बढ़ा दी है। आरटीजीएस कारोबार विंडों शनिवार के दिन पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक खुली रहेगी। यह परिवर्तन 29 दिसंबर 2014 से लागू होगा।

व्हाइट लेबल एटीएमओं पर दिशानिर्देश

व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) परिचालकों को अब प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क योजनाओं के अंतर्गत जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट/प्री-पेड कार्ड स्वीकार करने की अनुमति है। डब्ल्यूएलए को अंतर्राष्ट्रीय कार्डों के उपयोग के लिए गतिशील मुद्रा परिवर्तन (डीसीसी) की सुविधा की अनुमति दी गई है। डब्ल्यूएलए परिचालक अब डब्ल्यूएलए में नकदी आपूर्ति के लिए अन्य वाणिज्यिक बैंकों से टाई-अप कर सकते हैं। जबकि नकदी का स्वामित्व डब्ल्यूएलएओ का होगा, ऐसे डब्ल्यूएलए में डाली गई नकदी की गुणवत्ता और असलीपन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नकदी की आपूर्ति करने वाले बैंक की होगी। रिज़र्व बैंक ने 5 दिसंबर 2014 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालकों/कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालकों और डब्ल्यूएलए सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उपयुक्त रूप से सूचित किया है। रिज़र्व बैंक ने उन्हें आगे सूचित किया है कि वे असली और अच्छी गुणवत्ता वाले नोटों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए डब्ल्यूएलएओ और नकदी आपूर्तिकर्ता बैंक के बीच एक उपयुक्त सेवा स्तर करार (एसएलए) करें। डब्ल्यूएलएओ जिनकों प्राधिकृत किया गया है और जिन्होंने परिचालन शुरूकर दिया है उनसे अपेक्षित है कि वे सेवा शुरूकरने के संबंध में रिज़र्व बैंक को सूचित करें।

मोबाइल बैंकिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए ग्राहक शिक्षण

रिज़र्व बैंक 4 दिसंबर 2014 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि वे मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण/सक्रिय करने की प्रक्रिया और इसके उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए संप्रेषण के विभिन्न चैनलों के माध्यम से बहु-भाषाओं में ग्राहक शिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाएं।

चूंकि मोबाइल बैंकिंग के लिए ग्राहकों (नए ग्राहकों, मौजूदा खाताधारकों जिनके मोबाइल नंबर बैंक के पास उपलब्ध है किंतु मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकृत नहीं हैं और मौजूदा खाताधारक जिनके मोबाइल नंबर बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं) की ऑन-बोर्डिंग से संबंधित प्रक्रियाओं में बेहतर मानकीकरण स्तर की आवश्यकता है, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे मोबाइल बैंकिंग के प्रसार (ग्राहक पंजीकरण/ऑन-बोर्डिंग) में वृद्धि करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियां और बाद में सत्यापन के लिए बाद की प्रक्रियाएं अपनाएं जिनमें ग्राहक द्वारा एमपिन (मोबाइल बैंकिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला 4 अंकों का कोड) के सृजन के लिए पहुंचनीय विकल्प शामिल हैं।

भारत बिल भुगतान प्रणाली पर अंतिम दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2014 को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) बीबीपीएस प्रक्रियाओं के लिए मानक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत भारत बिल भुगतान केंद्रीय यूनिट के रूप में कार्य करेगा, इन प्रक्रियाओं का इस प्रणाली के अंतर्गत सभी परिचालनरत यूनिटों (भारत बिल भुगतान परिचालन यूनिट - बीबीपीओयूएस) द्वारा पालन किए जाने की आवश्यकता होगी।

एनपीसीआई भारत बिल भुगतान केंद्रीय यूनिट के रूप में बीबीपीएस से संबंधित समाशोधन और निपटान कार्यकलाप भी करेगा जैसा कि दिशानिर्देशों में रेखांकित किया गया है। बीबीपीएस प्रणाली के भावी प्रतिभागियों को सूचित किया गया है कि वे इसके तौर-तरीकों पर कार्य करने के लिए एनपीसीआई से चर्चा करें। भावी बीबीपीओयूज़ भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत अधिप्रमाणन के लिए आवेदन रिज़र्व बैंक को वर्ष 2015 की पहली तिमाही से प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिप्रमाणन/अनुमोदन के लिए जिस तारीख/फार्मेट में ऐसे आवेदन प्रस्तुत किए जाने हैं, उसकी सूचना कुछ समय बाद दी जाएगी।

व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) के लिए दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 3 दिसंबर 2014 को व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) स्थापित और परिचालित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों में व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) को परिचालित करने की आवश्यकताओं और मूलभूत सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है जिसमें ऐसी प्रणाली स्थापित और परिचालित करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड दर्शाने के अतिरिक्त प्रणाली प्रतिभागी, उनकी भूमिका, लेनदेन प्रक्रिया प्रवाह, निपटान प्रक्रिया आदि शामिल हैं। प्रणाली के कार्यकलापों में प्रचलित विधि और विनियामक आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

दिशानिर्देशों में दिए गए पात्रता मानदंड पूरा करने वाली और टीआरईडीएस स्थापित करने की इच्छुक संस्थाएं अपना आवेदन निर्धारित फार्मेट में मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400001 को भेज सकते हैं। आवेदन 13 फरवरी 2015 को कारोबार की समाप्ति तक स्वीकार किए जाएंगे।

टीआरईडीएस एक प्राधिकृत भुगतान प्रणाली होगी और यह भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की निगरानी के अधीन भी होगी।

पृष्ठभूमि

व्यापार प्राप्य राशि भुनाई प्रणाली संस्थागत व्यवस्था स्थापित और परिचालित करने की एक योजना है जो कॉर्पोरेट और सरकारी विभागों और बहु-वित्तपोषकों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू) सहित अन्य खरीदारों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्राप्य राशि के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है। एमएसएमई क्षेत्र विलंबित भुगतान की समस्या का सामना करता है और ऐसा सरकारी विभागों/उपक्रमों सहित कार्पोरेट और अन्य क्षेत्रों के अंदर उनके खरीदारों पर उनकी निर्भरता के कारण होता है। वे प्रायः इस प्रयोजन के लिए सृजित उचित संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से विलंबित भुगतानों की समस्या उठाने में असमर्थ होते हैं।

विस्तृत दिशानिर्देश और आवेदन पत्र http:// rbidocs.rbi.org.in/rdocs/ Publications/ PDFs/ 86707.pdf पर उपलब्ध हैं।

मामला लेखन प्रतियोगिता

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे ने शहरी सहकारी बैंकों, सहकारी बैंक प्रशिक्षण संस्थाओं और रिज़र्व बैंक के स्टाफ / अधिकारियों के लिए मामला लेखन प्रतियोगिता घोषित की है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सहकारी बैंकिंग उद्योग के संबंध में उच्च स्तरीय मामला अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना व बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां भेजने हेतु इच्छुक प्रतिभागियों को अध्यापन नोट सहित एक मौलिक मामला अध्ययन / केसलेट लिखना है। उस मामला अध्ययन / केसलेट में निम्नलिखित विषयों से संबंधित वास्तविक दृष्टांतों का विस्तृत वर्णन किया जाना है :

i) जोखिम प्रबंधन सहित बैंक का सामान्य परिचालन

ii) मानव संसाधन प्रबंधन

iii) कॉर्पोरेट गवर्नेंस

iv) कार्यनीति

प्रविष्टियां mramakumari@rbi.org.in और trajagopal@rbi.org.in नामक ई-मेल पतों पर भेजी जाएं। बाद में इसकी दो हार्ड कॉपियां 'प्रकाशनार्थ सहमति' फॉर्म और निर्धारित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएं। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2015 है।

Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

पेंशनभोगियों को डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र

रिज़र्व बैंक ने 9 दिसंबर 2014 को सरकारी पेंशन का संवितरण करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया कि वे आधार बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन पर आधारित ''जीवन प्रमाण'', एक डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र लागू करने और उससे लाभ उठाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस प्रयास का लक्ष्य जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और पेंशन संवितरण में सटीकता और समयबद्धता की सुविधा प्रदान करना है। जीवन प्रमाण के कार्यान्वयन के लिए एक वेब पोर्टल (jeevanpramaan.gov.in) 10 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था। पूरी तरह से कार्यान्वित होने के बाद इससे एजेंसी बैंक शाखाएं जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर लॉग ऑन करके और प्रमाण-पत्र की सर्च करके या अपने कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) के माध्यम से डाउनलोड कर अपने पेंशन ग्राहकों के डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। पेंशनभोगी भी अपने जीवन प्रमाण-पत्र के लिए संबंधित लिंक ईमेल/एसएमएस के माध्यम से अपनी बैंक शाखाओं में भेज सकेंगे।

इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि वे अपनी शाखाओं, वेबसाइटों और अन्य साधनों के माध्यम से अपने पेंशनभोगी ग्राहकों के बीच इस सुविधा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्य करें। बैंक अपनी वेबसाइटों पर डाले गए पेंशन भुगतानों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी उचित ढ़ंग से संशोधित कर सकते हैं और जीवन प्रमाण की वेबसाइट के लिए एक लिंक उपलब्ध करा सकते हैं।

वर्ष 2015
आपके लिए आनंदमय और मंगलमय हो

वित्तीय बाजार

एचटीएम सीमाओं में कमी

रिज़र्व बैंक ने 15 दिसंबर 2014 को एकल प्राथमिक व्यापारियों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली प्रतिभूतियों की मात्रा में कमी के बारे में सूचित किया, यह पिछले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित निवल स्वधिकृत निधियों (एनओएफ) के 200 प्रतिशत से 100 प्रतिशत कर दी गई हैं। यह परिवर्तन व्याप्त बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया। नई सीमाएं 31 दिसंबर 2014 से प्रभावी होंगी। तथापि, प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति है कि वे नए मानदंडों का अनुपालन करने के लिए 31 दिसंबर 2014 को समाप्त होने वाली वर्तमान तिमाही के लिए एचटीएम से एक अतिरिक्त अंतरण कर सकते हैं।

मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2005 से पूर्व जारी करेंसी नोट

वर्ष 2005 से पूर्व जारी करेंसी नोटों को प्रचलन से हटाने हेतु आम जनता से सहयोग मांगते हुए रिज़र्व बैंक ने 23 दिसंबर 2014 को आम जनता से आग्रह किया कि वे पुराने डिज़ाइन वाले नोटों (महात्मा गांधी श्रृंखला वाले) को 30 जून 2015 तक अपने बैंक खाते में जमा कराएं या उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बैंक शाखा में बदलवाएं। इससे पूर्व रिज़र्व बैंक ने जनता के लिए ऐसे नोटों को बदलवाने की अंतिम तारीख 1 जनवरी 2015 तय की थी। रिज़र्व बैंक ने बताया कि ऐसे नोटों को पूरे मूल्य पर बदला जा सकता है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि ये सभी नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। रिज़र्व बैंक इस प्रक्रिया की निगरानी और समीक्षा करता रहेगा जिससे आम जनता को किसी भी तरह से असुविधा न हो।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

20:80 योजना के अंतर्गत सोने का आयात

रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2014 को श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सूचित किया कि नामित बैंकों/एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा ''सोने के आयात (20: 80 योजना के अंतर्गत)'' के बारे में जारी सभी अनुदेश वापस ले लिए गए हैं क्योंकि भारत सरकार ने 20:80 योजना वापस लेने और सोने के आयात पर लागू प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है।0

ईसीबी की आगम राशियों का प्राधिकृत व्यापारी बैंकों में रखा जाना

बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं कोई सीबी की आगम राशियों के ड्राडाउन की स्ट्रक्चरिंग और अनुमत अंतिम प्रयोजनों में उनके प्रयोग के लिए और अधिक लचीलापन देने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 21 नवंबर 2014 को पात्र ईसीबी उधारकर्ताओं को अपनी ईसीबी आगम राशि (स्वत: एवं अनुमोदित माध्यमों दोनों के अंतर्गत) अनुमत अंतिम प्रयोजनों के लिए उपयोग होने तक भारत में श्रेणी-। के प्राधिकृत व्यापारी बैंकों में अधिकतम छह माह की अवधि के लिए मीयादी जमाओं में रखने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन दी है।

विदेशों में जुटाई गई निधियां भारत में लाया जाना

रिज़र्व बैंक ने 25 नवंबर 2014 को प्राधिकृत व्यापारी बैंकों (श्रेणी-।) को यह स्पष्ट किया कि : (i) भारतीय कंपनियां या उनके प्राधिकृत व्यापारी बैंक (श्रेणी-।) संगत विनियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अनुमत प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन के लिए अपनी विदेशी होल्डिंग / सहयोगी / समूह कंपनियों के माध्यम से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष गारंटी जारी नहीं करेंगे या ऐसे उधारों के लिए आकस्मिक देयताओं का सृजन नहीं करेंगे या किसी भी रूप में प्रतिभूति का प्रस्ताव नहीं करेंगे; (ii) साथ ही, उपर्युक्त (i) में यथावर्णित भारतीय कंपनियों या उनके प्राधिकृत व्यापारी बैंकों (श्रेणी-।) के सहयोग से भारतीय कंपनियों की विदेशी होल्डिंग / सहयोगी / अनुषंगी / समूह कंपनियों के जरिए उगाही गई निधियों का उपयोग भारत में तब नहीं किया जा सकेगा जब तक ऐसा करने के लिए संगत विनियमों के अंतर्गत सामान्य या विशिष्ट अनुमति नहीं दी जाती।

आरडीए और एमटीएसएस विवरण

रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2014 को यह स्पष्ट किया कि रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) और मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) से संबंधित कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपे जाने के बाद सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंकों (श्रेणी-।) और प्राधिकृत व्यक्तियों, जो एमटीएसएस के अंतर्गत भारतीय एजेंट हैं, से अपेक्षित है कि वे निर्धारित विवरणों के प्रस्तुतीकरण सहित अन्य सभी पत्रादि विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय में भेजें जिनके क्षेत्राधिकार में उनका पंजीकृत कार्यालय कार्य करता है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**